सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम

2026-27

ANNUAL PROGRAMME FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF THE UNION IN HINDI

2026-27

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

CONTENTS

SL.NO.	Subject	Page No.
1.	Foreword	1-13
2.	Important directions regarding Official Language Policy	14-23
3.	Annual Programme for the use of Hindi for the year 2026-27	24-27

विषय-सूची

क्र.सं.	**विषय**	**पृष्ठ संख्या**
1.	प्राक्कथन	1-13
2.	राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख दिशा-निर्देश	14-23
3.	हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2026-27 का वार्षिक कार्यक्रम	24-27

Foreword

The Official Language Resolution dated 18th January, 1968 as adopted by both the Houses of Parliament states:

"This House resolves that a more intensive and comprehensive programme shall be prepared and implemented by the Government of India for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Union and an Annual Assessment Report giving details of the measures taken and the progress achieved shall be laid on the Table of both Houses of Parliament and sent to all State Governments."

2. It is in consonance with the provisions of the said Resolution that an Annual Programme for the promotion and progressive use of the Official Language Hindi is prepared by the Department of Official Language every year for implementation by the Central Government Offices. The Annual Programme for the year 2026-27 is being issued in the same context. The demarcation of States/Union Territories of the country into three Regions has been done on the basis of prevalence of spoken and written Hindi language in the given Region. The details of three Regions viz. 'A', 'B' and 'C' are as follows:

Region	**States/Union Territories falling in the Region**
'A'	States of Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand and National Capital Territory of Delhi and Andaman & Nicobar Islands Union Territory.
'B'	States of Gujarat, Maharashtra and Punjab and Union Territories of Chandigarh, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli.
'C'	All other States or Union Territories not included in the 'A' and 'B' Regions.

प्राक्कथन

दिनांक 18 जनवरी, 1968 को संसद के दोनों सदनों द्‌वारा पारित राजभाषा संकल्प में यह व्यक्त किया गया है किः-

"यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति को बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्‌वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए गए उपायों एवं की गई प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।"

2. उक्त संकल्प के उपबंधों के अनुसरण में राजभाषा विभाग द्‌वारा प्रति वर्ष केंद्र सरकार के कार्यालयों द्‌वारा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिंदी के प्रसार और प्रगामी प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। वर्ष 2026-27 का वार्षिक कार्यक्रम इसी क्रम में जारी किया जा रहा है। हिंदी बोले जाने और लिखे जाने के आधार पर देश के राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों में चिह्नित किया गया है। इन तीनों क्षेत्रों यथा 'क','ख' और 'ग' का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्षेत्र	**क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
'क'	बिहार, छत्तीसगढ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्‌वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।
'ख'	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
'ग'	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।

3. The use of Hindi in the Government Offices is progressively increasing but substantial business is still being done in English. The objective of Official Language policy is that normally Hindi be used in all Government business to the maximum extent possible. This will be in keeping with the spirit of the Constitution. Needless to say that doing official work in the peoples' language will speed-up development and bring transparency in administration.

4. Under the able guidance and inspirational leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi and Hon'ble Home Minister Shri Amit Shah, the Department of Official Language has initiated the following E-learning activities:-

(a) The training institute of the Department of Official Language-Central Hindi Training Institute has started imparting training for Hindi language/Hindi typing/Hindi Stenography through electronic platform (E-training) also, as per the requirement.

(b) Regional Implementation Offices (RIOs) of the Department of Official Language have started virtual inspections through digital platforms (E-inspection) also, as per the requirement.

(c) Hindi Workshops and Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) meetings are being held through information and Communication technology (ICT) tools (e-meetings).

(d) The e-Patrika Pustakalaya Platform at **www.rajbhasha.gov.in**, the official website of DOL has been launched to facilitate seamless and hassle-free reading of In-house magazines of various Central Government Organizations.

5. **Golden Jubilee Celebration of the Department of Official Language:**

On the occasion of the completion of 50 years of the establishment of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, a grand "Golden Jubilee Celebration of the Department of Official Language" was organized on 26 June 2025 at Bharat Mandapam, New Delhi. The objective of this event was to promote Hindi and other Indian languages under the Official Language Policy and to highlight the achievements of the Department of Official Language over the past 50 years.

3. सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग उतरोत्तर बढ़ रहा है किंतु अभी भी काफी काम अंग्रेजी में हो रहा है। राजभाषा नीति का उद्देश्य है कि सरकारी कामकाज में सामान्यतः हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो। यही भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगा । कहने की आवश्यकता नहीं है कि जन साधारण की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी।

4. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल तथा प्रेरणादायक नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने निम्नलिखित ई-लर्निंग कार्यकलापों की शुरुआत की हैः-

(क) राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण संस्थान- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ने आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों (ई-प्रशिक्षण) के माध्यम से भी हिंदी भाषा/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया है।

(ख) राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों ने आवश्यकतानुसार डिजिटल प्लेटफार्मों (ई-निरीक्षण) के माध्यम से भी वर्चुअल निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया है ।

(ग) हिंदी कार्यशालाओं और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की बैठकों का आयोजन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधनों (ई-बैठक) के माध्यम से भी किया जा रहा है |

(घ) केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों की गृह पत्रिकाओं के सहज तथा सुलभ पठन के लिए राजभाषा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर ई-पत्रिका पुस्तकालय प्लेटफार्म की शुरुआत की गई है।

5. **राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन:**

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 26 जून, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में “राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह” का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्देश्य राजभाषा नीति के अंतर्गत हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का संवर्धन तथा राजभाषा विभाग की पचास वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित करना था।

Hon'ble Minister of Home Affairs and Cooperation, Shri Amit Shah graced the occasion as the Chief Guest of the ceremony. Other dignitaries present were Smt. Rekha Gupta, Chief Minister, Delhi; Minister of State for Home Affairs Shri Bandi Sanjay Kumar; Dr. Sudhanshu Trivedi, MP Rajya Sabha; Shri Bhartruhari Mahtab, Vice-Chairman of the Committee of Parliament on Official Language and Smt. Anshuli Arya, Secretary, Department of Official Language. The event was also attended by senior officials, litterateurs, academicians, representatives of various Ministries and Official Language Officers.

In his address during the inaugural session, the Hon'ble Home Minister emphasized the importance of Indian languages and stated that Indian languages form the foundation of the country's cultural unity and social harmony. He remarked that the Department of Official Language has completed its fifty-year journey based on endeavour, dedication and resolve and that this journey will be recorded in golden letters.

Shri Shah stated that no nation can preserve its culture, literature, history and social values without its own language. For a country to move forward with self-respect based on its cultural foundations, governance should function in its own languages. He further said that Hindi is a sister of all Indian languages and that Hindi together with other Indian languages can lead the path of national self-pride to its ultimate goal.

On this occasion, several important publications brought out by the Department of Official Language were also released. These included the Coffee Table Book of the Department titled *"Sanghatanatah Purnataam Prati - Charaiveti Charaiveti"*, *"Bhartiya Bhashayen aur Rajbhasha Hindi - Sah Astitva Ki Gatha"* and *"Sindoor - Paramapara, Prateek aur Praakram."* The objective of these publications is to highlight the fifty-year journey of the Department of Official Language and to promote coordination and goodwill among Indian languages.

During the ceremony, the winners of various competitions which were organized as a part of Golden Jubilee celebrations, were also honoured. Competitions based on Official Language Policy and General Knowledge, Extempore Speech, Hindi Typing and Stenography and Short Film Making Competition were organised to mark the occasion and the winners were felicitated. Besides, sports competitions such as chess, table tennis, badminton and cricket were also organized, in which personnel of various Ministries, Departments, Banks and Public Sector Undertakings participated enthusiastically.

समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह थे। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार, राज्यसभा के सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरि महताब तथा राजभाषा विभाग की सचिव श्रीमती अंशुली आर्या उपस्थित थे। कार्यक्रम में अनेक वरिष्ठ अधिकारी, साहित्यकार, शिक्षाविद् एवं विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि एवं राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे।

उद्‌घाटन सत्र में अपने संबोधन में माननीय गृह मंत्री जी ने भारतीय भाषाओं की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि भारतीय भाषाएँ देश की सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष, साधना एवं संकल्प इन तीनों के आधार पर राजभाषा विभाग ने इन 50 वर्षों की यात्रा तय की है और इस यात्रा को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि कोई भी देश अपनी भाषा के बिना अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और सामाजिक संस्कार को चिरंजीव नहीं रख सकता। अपनी संस्कृति के आधार पर आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए देश का शासन उसकी अपनी भाषाओं में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी एवं भारतीय भाषाएं मिलकर ही हमारे आत्मगौरव के उत्थान के कार्यक्रम को अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकती हैं।

इस अवसर पर राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया गया। इनमें राजभाषा विभाग की कॉफी टेबल बुक- 'सङ्घटनतः पूर्णतां प्रति चरैवेति चरैवेति', 'भारतीय भाषाएं और राजभाषा हिंदी-सह अस्तित्व की गाथा' तथा 'सिंदूर- परंपरा, प्रतीक और पराक्रम' पुस्तकें शामिल थीं। इन प्रकाशनों का उद्देश्य राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष की यात्रा पर प्रकाश डालना तथा भारतीय भाषाओं के बीच परस्पर समन्वय एवं सद्भावना को बढ़ावा देना है।

समारोह में स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। इनमें राजभाषा नीति एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, आशुभाषण प्रतियोगिता, हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रतियोगिता तथा लघु फिल्म निर्माण जैसी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, बैंकों एवं उपक्रमों के कार्मिकों ने उत्साहजनक भागीदारी की।

In the second session of the programme, various scholars and experts expressed their views on the Official Language Policy, translation systems and the future of Indian languages. The speakers emphasized the need to increase the use of Hindi and other Indian languages in administrative work and highlighted the role of language in strengthening national unity.

Before the conclusion of the event, cultural programmes were presented, showcasing glimpses of the diverse languages and cultural traditions of India. These performances effectively reflected the Indian spirit of “Unity in Diversity.”

In continuation of this series of events, the second phase of the celebration, titled **“Department of Official Language Golden Jubilee Celebration”** was organized on 11 July 2025 in Hyderabad (Telangana)**.** The Chief Guest of the Conference, Hon’ble Union Minister for Coal and Mines, Shri G. Kishan Reddy, in his address, highlighted the importance of Hindi as the Official Language. He stated that Hindi is a symbol of our cultural unity and national identity. Appreciating the work carried out by the Department of Official Language, he said that the Department has played a significant role in taking Hindi to the masses. On this occasion, the Hon’ble Deputy Chairman of the Rajya Sabha, Shri Harivansh remarked that Hindi is not merely a language but a bridge that connects different states and cultures.

Hon’ble Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai, emphasized the need to promote the use of Hindi as the Official Language and stated that greater use of Hindi in government functioning would enhance transparency and public participation. Hon’ble Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Pawan Kalyan, in his address said that Hindi is a language that binds the entire nation together. He also highlighted the efforts being made to promote and popularize Hindi in South India.

A special technical session was organized to discuss the latest technological innovations and the use of Artificial Intelligence in the field of official language. A series of cultural performances highlighting the rich diversity of India’s traditions and heritage were presented, adding colour and enthusiasm before the programme concluded.

कार्यक्रम के दूसरे सत्र में विभिन्न विद्वानों एवं अधिकारियों ने राजभाषा नीति, अनुवाद व्यवस्था तथा भारतीय भाषाओं के भविष्य पर अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने प्रशासनिक कार्यों में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने की बात कही।

समारोह के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें देश की विविध भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिली। इन प्रस्तुतियों ने "विविधता में एकता" की भारतीय भावना को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया।

इसी क्रम में, आयोजन के दूसरे चरण के रूप में 11 जुलाई, 2025 को **हैदराबाद (तेलंगाना) में राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह (दक्षिण संवाद)** का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने अपने संबोधन में राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विभाग ने हिंदी को जन-जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश ने कहा कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि एक सेतु है जो विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों को जोड़ता है।

माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने राजभाषा के रूप में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग से पारदर्शिता और जनभागीदारी बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया।

राजभाषा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी नवाचारों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर चर्चा के लिए एक विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। समारोह के अंत में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया गया।

6. Hindi Diwas 2025 and the Fifth All India Official Language Conference, Gandhinagar (Gujarat)

The Department of Official Language organized the Hindi Day Celebration 2025 and the Fifth All India Official Language Conference on 14-15 September 2025 in Gandhinagar, Gujarat. On this occasion, the Hon'ble Minister of Home Affairs and Cooperation, Shri Amit Shah, graced the programme as the Chief Guest. The ceremony was also attended by several distinguished dignitaries including Hon'ble Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel, Hon'ble Minister of Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal and Hon'ble Minister of State for Home Affairs, Shri Bandi Sanjay Kumar. A large number of senior officers, academicians, litterateurs, language experts and Official Language officers from various Ministries, Departments, Public Sector Undertakings, Banks, and autonomous institutions of the Central Government participated in the conference.

On this occasion, Rajbhasha Kirti Awards and Rajbhasha Gaurav Awards were presented to Ministries, Departments, Banks, Public Sector Undertakings and writers & litterateurs for their outstanding work in the field of implementation of Official Language. The Union Minister of Home Affairs and Cooperation also released the book published by the Department of Official Language titled *"Bhartiya Bhashayein Aur Rajbhasha Hindi: Anuvad Ke Aayaam."*

While addressing the conference, the Hon'ble Home and Cooperation Minister stated that Hindi is a friend of all Indian languages and there is no conflict between Hindi and other Indian languages, whatsoever. He observed that the coexistence of Gujarati and Hindi has made Gujarat an ideal example of the parallel development of both languages.

Shri Amit Shah further stated that for the past five years, the All India Official Language Conference has been organized in different parts of the country. This provides an excellent opportunity to strengthen dialogue between Official Language Hindi and other Indian languages of the country, bringing new perspectives, energy and inspiration. He said that Sanskrit has given us the river of knowledge, Hindi has carried that knowledge to every home, and the mother tongue has taken it to the masses. He appealed to all parents to communicate with their children in their mother tongue and to teach them to speak, read and write in it.

6. हिंदी दिवस 2025 एवं पांचवां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, गांधीनगर (गुजरात)

राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 14-15 सितंबर, 2025 को गांधीनगर, गुजरात में हिंदी दिवस समारोह 2025 एवं पंचम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ायी। समारोह में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल, माननीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और माननीय केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री बंडी संजय कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सम्मेलन में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों तथा स्वायत्त संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, शिक्षाविद्, साहित्यकार एवं भाषा विशेषज्ञ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मंत्रालयों, विभागों, बैंकों तथा उपक्रमों तथा लेखकों एवं साहित्यकारों को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने अपने कर-कमलों से राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित ग्रंथ 'भारतीय भाषाएं और राजभाषा हिंदी: अनुवाद के आयाम' का लोकार्पण किया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हिन्दी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं के बीच कोई अंतर्द्वंद नहीं है। उन्होंने कहा कि गुजराती और हिन्दी के सहअस्तित्व से गुजरात दोनों भाषाओं के विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना।

श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 5 साल से अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिल्ली से बाहर देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहा है जिससे राजभाषा हिन्दी और देश की अन्य भाषाओं के बीच संवाद बढ़ाने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। इससे नई दृष्टि, ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि संस्कृत ने हमें ज्ञान की गंगा दी है और हिन्दी ने उस ज्ञान को हर घर और मातृभाषा ने उसे जन-जन तक पहुंचाया है। उन्होंने सभी अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों से मातृभाषा में संवाद करें और बच्चों को मातृभाषा बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाएं।

The Union Home Minister also mentioned that in the digital era, it is extremely important to use modern technology and translation systems to increase the use of Hindi and other Indian languages. The “Sarathi” translation system, developed by the Department of Official Language, provides a facility for easy translation from Hindi into all recognized Indian languages. He stated that in the coming days, communication through Sarathi will take place in our own languages.

Shri Shah also expressed confidence that the digital dictionary “Hindi Shabd Sindhu” will become the largest dictionary in the world by the year 2029. He stated that the use of Shabd Sindhu will make Hindi more versatile, flexible and accessible to the masses.

He further said that inspired by Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Home Affairs has created Bhartiya Bhasha Anubhag under the Department of Official Language, which will strengthen not only Hindi but all Indian languages and work towards their advancement.

During the conference sessions, detailed discussions were held on topics such as effective implementation of the Official Language Policy, the importance and role of Town Official Language Implementation Committees, translation arrangements, the use of Hindi in Information Technology and the role of Indian languages in administrative work. The speakers emphasized the strength, importance and interrelationship of Hindi and other Indian languages.

At the end of the programme, cultural performances were also organized, showcasing the diversity of Indian languages and rich culture. These presentations effectively reflected the significance of Hindi Diwas and the rich traditions of Indian languages.

Thus, the Hindi Day 2025 celebration and the Fifth All India Official Language Conference held in Gandhinagar concluded successfully. The event proved to be an important platform for increasing awareness about the Official Language Policy, encouraging the wider use of Hindi and promoting the coordinated development of Indian languages.

केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि डिजिटल युग में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और अनुवाद प्रणालियों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित सारथी अनुवाद प्रणाली में हिंदी से भारत की सभी मान्य भाषाओं में सरलता से अनुवाद करने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सारथी के माध्यम से हम सबका संवाद स्वभाषा में ही होगा।

श्री शाह ने डिजिटल शब्दकोश हिंदी शब्दसिंधु के बारे में यह विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2029 तक यह दुनिया की सभी भाषाओं में सबसे बड़ा शब्दकोश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि शब्दसिंधु का प्रयोग हिन्दी को बहुपयोगी, लचीली और लोकभोग्य बनाएगा।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से गृह मंत्रालय ने राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग बनाया है जो हिन्दी ही नहीं बल्कि देश की सभी भारतीय भाषाओं को बल देगा और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेगा।

सम्मेलन के सत्रों में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का महत्व एवं भूमिका, अनुवाद व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के उपयोग तथा प्रशासनिक कार्यों में भारतीय भाषाओं की भूमिका जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने हिंदी और भारतीय भाषाओं के सामर्थ्य, महत्ता एवं परस्पर अंतरसंबंध पर बल दिया।

कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया गया, जिनमें भारतीय भाषाओं और संस्कृति की विविधता की झलक देखने को मिली। इन प्रस्तुतियों ने हिंदी दिवस के महत्व और भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा को प्रभावी रूप से अभिव्यक्त किया।

इस प्रकार, गांधीनगर में आयोजित हिंदी दिवस 2025 एवं पांचवाँ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सफल और सार्थक रहा। यह आयोजन राजभाषा नीति के प्रति जागरूकता बढ़ाने, हिंदी के व्यापक प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा भारतीय भाषाओं के समन्वित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुआ।

7. In the present era, no language can flourish without being connected to information and communication technology. Evidently, it has now become easier to use Hindi, more in scientific and technical subjects in the Central Government Offices due to availability of Information Technology facilities including computers, e-mails, websites. The Dept. of Official Language is continuously working in this direction. In this connection, on the occasion of Hindi Day and Fifth All India Official Language Conference held on 14-15 September, 2025 in Gandhi Nagar (Gujarat), the Hon'ble Minister of Home Affairs, Shri Amit Shah launched the 'Sarthi Translation System' which facilitates easy translation from Hindi to all major Indian languages. Likewise, comprehensive digital dictionary 'Hindi Shabd Sindhu- Version 2' and 'Bhartiya Bhasha Anubhag' were inaugurated by Hon'ble Home Minister in the recent past.

(i) Bhartiya Bhasha Anubhag

Establishment of Bhartiya Bhasha Anubhag (Indian Languages Section) is an ambitious project of this Department which has been launched by Hon'ble Home Minister Shri Amit Shah during the 4th All India Official Language Conference and Hindi Diwas Celebrations, 2024 on 14-15 September 2024 at Bharat Mandapam, New Delhi. The purpose of setting up this section is to develop a mechanism through which correspondence between the Central Government and the State Governments can also be done in the First Official Language of the State. A universal system of translation in 15 Indian languages of the Eighth Schedule of the Constitution, has been developed.

7. वर्तमान युग में कोई भी भाषा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े बिना नहीं पनप सकती। यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार के कार्यालयों में कंप्यूटर, ई-मेल, वेबसाइट सहित सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं उपलब्ध होने से वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना और भी आसान हो गया है। राजभाषा विभाग निरंतर इस दिशा में काम कर रहा है । इसी क्रम में, गांधीनगर (गुजरात) में 14-15 सितंबर, 2025 को सम्पन्न हुए हिंदी दिवस और पंचम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर माननीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह द्वारा 'सारथी अनुवाद प्रणाली' का लोकार्पण किया गया जो हिंदी से प्रमुख भारतीय भाषाओँ में सरलता से अनुवाद करने में सक्षम है। इसी प्रकार, हाल ही में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा बृहत् एवं समावेशी डिजिटल शब्दकोश 'हिंदी शब्दसिंधु- संस्करण-2' तथा 'भारतीय भाषा अनुभाग' का शुभारंभ किया गया है।

(i) भारतीय भाषा अनुभाग

भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना इस विभाग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका शुभारंभ 14-15 सितंबर 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह, 2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। इस अनुभाग की स्थापना किए जाने का प्रयोजन एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पत्राचार राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा (First Official Language) में भी हो सके। इसमें संविधान की आठवीं अनुसूची की 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सार्वभौमिक व्यवस्था विकसित की गई है।

(ii) **'Bharati - Anuwad Sarathi'** is a multilingual translation tool developed by the Department of Official Language through C-DAC Pune, which facilitates mutual translation across major Indian languages. The objective of 'Bharati' is to simplify and enhance the translation process through user-friendly software. It focuses on making translations faster and more accurate. 'Bharati - Multilingual Translation Sarathi' features a vetting facility, which ensures that only human-verified sentences are added to the Global Translation Memory. This process significantly enhances translation accuracy while maintaining high-quality and reliable translation data. Its key objectives include:

- Establishment of an indigenous data center.
- Development of advanced software for effective translation.
- Storing and reusing translations through the application of smart technology.
- Continuous improvement of the system based on user feedback.

(iii) **'Hindi Shabd Sindhu'** is being developed to enrich Hindi with the words from other languages of the country. In this dictionary, along with the vocabulary related to various subjects i.e. - Mass Communication, Ayurveda, Sports, Space Science, Physics, Chemistry, Biology, Aeronautics, Computer Science, Electronics, Geology, Humanities, etc., traditional vocabulary is also being included. In this dictionary along with the word, its grammatical category, meaning, synonym, usage, antonyms, idioms and other necessary information has been provided. This dictionary is completely digital and in searchable format. This will be a dictionary which will be fully up-to-date and inclusive, having collection of all words used in Hindi with their meanings. In the dictionary, words from Hindi language and Hindi speaking region's dialects and languages, common words of other Indian languages, media and new media terms, words of technology and science, law and justice are also being included.

This is fully Digital - Web based. The dictionary has been developed as per the standardized spelling prescribed by the Central Hindi Directorate. Unicode font is being used in this dictionary which will have facility to search words by typing in Hindi and English. In addition, various modern features are being developed in this, including the facility to search a word by speaking.

(ii) **'भारती-बहुभाषी अनुवाद सारथी'-** राजभाषा विभाग द्वारा सी-डैक पुणे के माध्यम से विकसित कराया गया बहुभाषी अनुवाद टूल है जो प्रमुख भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद करता है। 'भारती' का उद्देश्य उपयोगकर्ता- अनुकूल सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुवाद को सरल और बेहतर बनाना है। यह अनुवाद को तेज़ और सटीक बनाने पर केंद्रित है। 'भारती- बहुभाषी अनुवाद सारथी' में पुनरीक्षण सुविधा उपलब्ध है, जो सुनिश्चित करती है कि केवल मानव द्वारा सत्यापित वाक्य ही ग्लोबल ट्रांसलेशन मेमोरी में जोड़े जाएं। यह प्रक्रिया उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीय अनुवाद डेटा बनाये रखते हुए अनुवाद की सटीकता में उल्लेखनीय वृद्धि करती है। इसके मुख्य लक्ष्यों में शामिल है:

- स्वदेशी डेटा सेंटर की स्थापना।
- प्रभावी अनुवाद के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर विकसित करना।
- स्मार्ट तकनीक का उपयोग कर अनुवाद को याद रखना और पुनः उपयोग करना।
- फीडबैक के आधार पर सिस्टम में निरंतर सुधार करना।

(iii) **हिंदी शब्द सिंधु-** बृहत् शब्दकोश देश की अन्य भाषाओं से हिंदी को समृद्ध करने की दिशा में विकसित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विषयों- जनसंचार, आयुर्वेद, खेलकूद, अंतरिक्ष विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव-विज्ञान, वैमानिकी, कंप्यूटर विज्ञान, इलैक्ट्रॉनिक्स, भू-गर्भशास्त्र, मानविकी आदि से संबंधित शब्दावली के साथ-साथ पारंपरिक शब्दावली को भी समाहित किया जा रहा है। इस शब्दकोश में शब्द की प्रविष्टि के साथ-साथ उसकी व्याकरणिक कोटि, अर्थ, पर्याय, आवश्यकतानुसार प्रयोग, विलोम, मुहावरे एवं तत्संबंधी अन्य आवश्यक जानकारी दी गई है। यह शब्दकोश पूर्णतया डिजिटल तथा खोजपरक (सर्चेबल) है। यह एक ऐसा शब्दकोश होगा जो पूर्णतः अद्यतन और समावेशी होगा तथा इसमें हिंदी में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों का अर्थ सहित संग्रह होगा। इस शब्दकोश में हिंदी और हिंदी क्षेत्र की बोलियों, उपभाषाओं और भाषाओं के शब्द, अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्द, मीडिया और न्यू मीडिया के शब्द, तकनीक और विज्ञान के शब्द तथा विधि एवं न्याय के शब्द भी शामिल किए जा रहे हैं ।

यह पूर्णतया डिजिटल वेब आधारित है तथा इसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानकीकृत वर्तनी के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग किया जा रहा है तथा इसमें हिंदी, अंग्रेजी में टंकण कर शब्द खोजने की सुविधा है। इसके साथ-साथ इसमें बोलकर शब्द खोजने की क्षमता सहित कई आधुनिक फीचर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

8. The following points in the Annual Programme need to be paid utmost attention: -

(i) The Policy of the Government with regard to the propagation and spread of the Official Language is that the use of Hindi as Official Language may be increased with motivation, encouragement and goodwill. At the same time, the Rules and Orders should be strictly complied with. In this context, it may be mentioned here that under Rule 12 of the Official Language Rules, 1976, it is the responsibility of the Administrative Head of each Central Government office to ensure that the directions issued under the O.L. Act and O.L. Rules are adequately complied with. If an officer or employee knowingly (deliberately) contravenes the provisions regarding the Official Language, action may be taken on the basis of the contravention of the rules and orders relating to the case.

(ii) It is necessary that Presidential Orders issued on all the nine volumes of the Report of the Committee of Parliament on Official Language be complied with by the Central Government Offices.

(iii) Necessary steps should be taken to get Scientific and Technical literature prepared in Hindi by the concerned Departments and made available for the use of public.

(iii) Not only should the training of Hindi language, Hindi typing/stenography be expedited, but all the personnel who have received training should be motivated and directed to make maximum use of Hindi language, Hindi typing/stenography.

(v) Central Government Offices should regularly nominate their employees to the different training programmes of the Department of Official Language and direct them to be present in the classes regularly and to complete training with sincerity and appear in the examinations. Any instance of discontinuing training or not appearing in the examinations should be sternly dealt with.

8. वार्षिक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित बिंदु विशेष रूप से विचारणीय हैं:

(i) राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार के बारे में सरकार की नीति यह भी है कि सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना से बढ़ाया जाए । लेकिन इसके साथ ही नियमों और आदेशों के अनुपालन में दृढ़ता बरती जानी चाहिए । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के तहत केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित अनुपालन हो। यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी जानबूझकर राजभाषा के बारे में लागू प्रावधानों की अवहेलना करता है तो प्रकरण से संबंधित नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है ।

(ii) यह आवश्यक है कि संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के नौ खंडों पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाए।

(iii) संबंधित मंत्रालय/विभाग वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य हिंदी में छपवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और उसे जनसाधारण के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय करें।

(iv) हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/आशुलिपि के प्रशिक्षणों में न केवल तेजी लाई जाए बल्कि प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सभी कार्मिकों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/आशुलिपि का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित एवं निर्देशित भी किया जाए ।

(v) राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केंद्र सरकार के कार्यालय नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को नामित करें और नामित कर्मचारियों को निदेश दें कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें और पूरी तत्परता से प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा परीक्षाओं में बैठें । प्रशिक्षण को बीच में छोड़ने या परीक्षाओं में न बैठने वाले मामलों में कड़ाई बरती जाए।

(vi) Central Government Offices should, at their training institutes catering to Central Services, make arrangements for training in Rajbhasha Hindi, at par with the level of arrangements at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie and prepare literature on their subject matters in Hindi so that after training the officers/employees may be able to carry out their work in Hindi easily. In all the training programmes of the Central Govt., targets for imparting training through Hindi medium compulsorily, have been fixed for the region 'A', 'B' and 'C' in this Annual Programme. Necessary guidelines are required to be issued to the respective training centres for compliance in this regard.

(vii) All the Officials should be acquainted with the Official Language Policy by conducting workshops in every quarter so that they may discharge their responsibilities effectively.

(viii) Central Government Offices should organize seminars relating to their subject areas in Hindi medium.

(ix) It should be ensured that the officers/employees who have won prizes in various competitions during the Hindi fortnight, do their maximum official work originally in Hindi.

(x) Periodic Official Language inspections of the Central Government Offices should be conducted by concerned officers of Ministries/Departments as well as by the Senior Officers (DS/Dir./JS) with the officers of Official Language section/branch.

(vi) केंद्र सरकार के कार्यालय केंद्रीय सेवाओं के अपने प्रशिक्षण संस्थानों में राजभाषा हिंदी में प्रशिक्षण की व्यवस्था उसी स्तर पर करें जिस स्तर पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में कराई जाती है और अपने विषयों से संबंधित साहित्य का सृजन हिंदी में करवाएं ताकि प्रशिक्षण के बाद अधिकारी सरकारी कामकाज सुविधापूर्वक राजभाषा हिंदी में कर सकें। इस वार्षिक कार्यक्रम में ''क', 'ख' व 'ग' क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्यतः हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । इस संबंध में अनुपालन हेतु संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है।

(vii) प्रत्येक तिमाही में कार्यशाला का आयोजन कर सभी कार्मिकों को राजभाषा नीति की जानकारी दी जाए जिससे वे अपने दायित्वों को अच्छी तरह निभा सकें।

(viii) केंद्र सरकार के कार्यालय अपने विषयों से संबंधित संगोष्ठियां हिंदी माध्यम में आयोजित करें।

(ix) यह सुनिश्चित किया जाए कि हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने वाले अधिकारी/कर्मचारी अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करें।

(x) मंत्रालयों/विभागों के संबंधित अधिकारियों व वरिष्ठ अधिकारियों (उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव) द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों का समय-समय पर राजभाषा संबंधी निरीक्षण राजभाषा अनुभाग के अधिकारियों के साथ किया जाए।

(xi) A Joint Town Official Language Implementation Committees (TOLIC) website has been created by the Department of Official Language for TOLICs working all over the country (http//narakas.rajbhasha.gov.in). All the TOLICs should share data (information) related to their TOLICs on this website. The objective of formation of TOLICs is to provide a joint forum for encouraging the use of Official Language in the Central Government Offices across the country and for removing the difficulties being faced in the implementation of the Official Language Policy. The members of TOLIC can improve the level of their achievements through deliberations on this forum and exchange the information about the best practices adopted by them for increasing the use of Hindi. In a year, two meetings of the committee are to be organized. The Administrative Heads of the Central Government Offices located in the particular town are required to personally attend the meetings of the committee. Under Rule 12 of the Official Languages Rules, 1976, Administrative Head has been entrusted with the responsibility for the implementation of the Official Language Policy of the Union and compliance of the orders issued by Department of Official Language in this regard from time-to-time. Officers of the Department of the Official Language (Headquarter)/ Regional Implementation Offices attend these meetings. In order to conduct the proceedings properly, checklist of the relevant points to be considered in the meetings of the TOLIC is provided at the time of formation of the TOLIC. A total number of 575 Tolics have been constituted by the Department of Official Language, so far.

(xii) Efforts should be made according to the rules for formation of Town Official Language Implementation Committee in the cities of the country where Town Official Language Implementation Committee has not been formed yet.

(xi) देश भर में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) हेतु राजभाषा विभाग द्वारा संयुक्त नराकास वेबसाइट (http//narakas.rajbhasha.gov.in) का निर्माण किया गया है। सभी नराकास इस वेबसाइट पर अपना नराकास संबंधी डाटा (सूचना) साझा करें। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का उद्देश्य केंद्र सरकार के देश भर में फैले कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच प्रदान करना है। इस मंच पर नराकास के सदस्य हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई उत्तम नीतियों के बारे में जानकारी पर विचार-विमर्श करके तथा उसका आदान-प्रदान करके अपनी उपलब्धियों के स्तर में सुधार ला सकते हैं। समिति की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। नगर विशेष में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के प्रशासनिक प्रमुखों द्वारा इस समिति की बैठकों में व्यक्तिगत तौर पर सहभागिता करना अपेक्षित है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के द्वारा प्रशासनिक प्रमुखों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। राजभाषा विभाग (मुख्यालय)/क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारी इन बैठकों में भाग लेते हैं। नराकास की बैठकों में विचारार्थ बिंदुओं की चेक लिस्ट नराकास के गठन के समय आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध कराई जाती है। राजभाषा विभाग द्वारा अब तक कुल 575 नराकास का गठन किया जा चुका है।

(xii) देश के उन शहरों में नराकास के गठन के नियमानुसार प्रयास किए जायें जहां अभी तक नराकास का गठन नहीं हुआ है।

(xiii) The Quarterly Progress Report should be sent to the Department of Official Language online within 30 days from the completion of each quarter. Similarly, Annual Assessment Report should be made available by 30th June every year. All Central Government Offices are required to send Quarterly Progress Report and Annual Assessment Report online only. The system is available at the Department's website www.rajbhasha.gov.in.

(xiv) Ministries/Departments have to ensure constitution/re-constitution of Hindi Advisory Committees at the earliest and ensure holding of their meetings regularly. In these meetings, the checklist of important points provided by the Department of Official Language for the consideration of the members should be kept in view. This checklist is available on the website of the Department of Official Language at www.rajbhasha.gov.in. Decisions taken in the meetings must be implemented.

(xv) The advertisements published by the Central Government Offices etc. in English/Regional Languages shall mandatorily be published in Hindi also. When advertisements are given in English newspapers, then at the end of the advertisement, it should be invariably mentioned that the Hindi version of the Notification/Advertisement/Vacancy related circular is available on the website. Full link related to this information should also be provided.

(xvi) The Central Government Offices should ensure that all the computers have Unicode installed on them so that work in Hindi may be done on the computers.

(xvii) It should also be ensured that all the officers/staff associated with translation work make maximum use of 'Anuwad Sarthi' software tool developed by the Department of Official Language and feed the repetitive translation material into it.

(xiii) तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर राजभाषा विभाग को ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाए। इसी प्रकार, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अवश्य उपलब्ध करा दी जाए। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों से अपेक्षित है कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट व वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन ही भेजें। यह प्रणाली विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

(xiv) मंत्रालय/विभाग अपने यहां हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन कर उनकी बैठकें नियमित आधार पर करना सुनिश्चित करें। इन बैठकों में माननीय सदस्यों के विचारार्थ राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं की चेक लिस्ट को ध्यान में रखा जाए। यह चेक लिस्ट राजभाषा विभाग की वेबसाइट **www.rajbhasha.gov.in** पर उपलब्ध है। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(xv) केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में भी अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराया जाए। जब अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं तो विज्ञापन के अंत में यह अवश्य उल्लेख कर दिया जाए कि अधिसूचना/विज्ञापन/रिक्ति संबंधी परिपत्र का हिंदी रूपांतर वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस जानकारी संबंधी पूरा लिंक भी दिया जाए।

(xvi) केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड की सुविधा हो ताकि उन पर हिंदी में काम किया जा सके।

(xvii) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुवाद कार्य से जुड़े सभी अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा विभाग द्वारा विकसित कराए गए 'भारतीः बहुभाषी अनुवाद सारथी' टूल का अधिक से अधिक उपयोग करें तथा बार-बार किए जाने वाले कार्यों को इसमें फीड करें।

(xviii) Town Official Language Implementation Committees have been constituted to increase the use of Hindi in Central Government Offices/Undertakings/Banks located in foreign counties. Presently, TOLICs have been constituted in five counties: Mauritius (Port Louis), UAE (Dubai), United Kingdom (London), Fiji and Singapore.

I am not only hopeful but also confident that all the Central Ministries/Departments, Offices, Public Sector Banks and Central Undertakings etc. will provide greater impetus to Hindi in their day-to-day work as per the constitutional and statutory obligations regarding the use of Official Language and will make voluntary efforts towards fulfillment of the targets mentioned in the Annual Program for the year 2026-27.

March, 2026

(NITYANAND RAI)
MINISTER OF STATE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

(xviii) विदेशों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों / उपक्रमों / बैंकों आदि में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। अभी वर्तमान में पांच देशों:- मॉरीशस (पोर्ट लुई), संयुक्त अरब अमीरात (दुबई), यूनाइटेड किंगडम (लंदन), फिजी तथा सिंगापुर में नराकास गठित हैं।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं केंद्रीय उपक्रम आदि राजभाषा प्रयोग संबंधी संवैधानिक और सांविधिक दायित्वों के अनुरूप अपने दैनिक काम-काज में हिंदी पर अधिकाधिक बल देंगे और वर्ष 2026-27 के वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में स्वैच्छिक प्रयास करेंगे।

(नित्यानंद राय)
गृह राज्य मंत्री
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

मार्च, 2026

Important Directions regarding Official Language Policy

1. Under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963, Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and Other Reports, Press Communiqués, Administrative and Other Reports and Official Papers to be laid before a House or Houses of Parliament, Contract, Agreements, Licenses, Permits, Tender Notices and Tender Forms should invariably be issued bilingually both in Hindi and English. Under Rule 6 of the Official Language Rules, 1976, it shall be the responsibility of the person signing such documents to ensure that such documents are prepared, executed or issued in both Hindi and English languages.

2. As per Rule 5 of Official Language Rules, 1976, communications received in Hindi are to be replied to in Hindi only by the Central Government Offices.

3. Under Rule 10(4) of Official Language Rules, 1976, the Central Government Offices are required to notify the names of the offices in the official gazette, wherein 80% of the staff have acquired working knowledge of Hindi. The following items of work should be done in Hindi in the branches of the banks notified under Rule 10 (4) of the Official Language Rules, 1976:-

"Demand Drafts issued on applications filled in Hindi by customers and on applications filled in English with the consent of customers. Payment Order, Credit Card, Debit Card, all kinds of lists, returns, fixed deposit receipts, communications etc. regarding cheque-book, entries in daily Ledger, Muster Roll, Dispatch Book, Pass Book, entries in Log Book, work relating to priority areas, security and customer services, opening of new accounts, writing addresses on envelopes, work relating to travelling allowance, leave, provident fund, house building advance, documents related to medical facilities for the employees, agenda and minutes of the meetings."

4. Under Rule 8 (4) of the Official Language Rules, 1976, the Central Government Offices to issue orders to the employees of the notified offices who have proficiency in Hindi to work only in Hindi for noting, drafting and for such other official purposes as specified in the order.

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश

1. राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में जारी किए जाएं । राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित अथवा जारी किए जाएं ।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।

3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं। इसके अंतर्गत अधिसूचित बैंकों की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिंदी में किए जाएं:-

”ग्राहकों द्वारा हिंदी में भरे गए आवेदनों और अंग्रेजी में भरे गए आवेदनों पर ग्राहकों की सहमति से जारी किए जाने वाले मांग ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी प्रकार की सूचियां, विवरणियां, सावधि जमा रसीदें, चैक बुक संबंधी पत्रादि, दैनिक बही, मस्टररोल, प्रेषण बही, पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियां, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा एवं ग्राहक सेवा संबंधी कार्य, नये खाते खोलना, लिफाफों पर पते लिखना, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास निर्माण अग्रिम, चिकित्सा संबंधी कार्य, बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त आदि ।“

4. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अनुसार केंद्र सरकार, ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारुपण और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट हों।

5. As per Rule 11 of the Official Language Rules, 1976, all manuals, codes and other procedural literature relating to Central Government offices shall be printed or cyclostyled, as the case may be, and published both in Hindi and English in diglot form. The forms and headings of registers used in any Central Government office shall be in Hindi and in English. All name-plates, sign-boards, letter-heads and inscriptions on envelopes and other items of stationery written, printed or inscribed for use in any Central Government office, shall be in Hindi and in English. Accordingly, the Central Government Offices are required to send all manuals, codes and other procedural literature relating to Non-Statutory procedural literature to Central Translation Bureau for translation.

6. Rule 12 of the Official Language Rules, 1976 requires the Administrative Head of each Central Government Office to ensure that the provisions of the Official Languages Act, Official Language Rules and directions issued thereunder are properly complied with and to devise suitable and effective check points for this purpose.

7. The 32nd meeting of the Central Hindi Committee was held under the chairmanship of the Honourable Home Minister on 04 November 2024 in New Delhi. In the meeting, Honourable Home Minister mainly gave the following suggestions-

(A) Shabd Sindhu has to be made a complete glossary by incorporating all the vocabularies of Science, Judiciary, Education, Administration, General colloquial languages in it.
(B) Two important tasks have to be accomplished. First is to strengthen and preserve Hindi literature and all its genres. Secondly, there is a need to make a long-term strategy to enrich the grammar of this language.

5. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी और मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी। तदनुसार, केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा है कि वे सभी मैनुअल, संहिताएं एवं प्रक्रिया संबंधी असांविधिक साहित्य से संबंधित अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य अनुवाद के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में भेजें।

6. राजभाषा नियम,1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो तथा इस प्रयोजन से उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच बिंदु बनाए जाएं।

7. केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 04 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में हुई। बैठक में माननीय गृह मंत्री जी ने मुख्य रूप से निम्नलिखित सुझाव दिए-

(क) विज्ञान, न्यायालय, शिक्षा, प्रशासनिक, सामान्य बोल चाल की भाषा की सारी शब्दावलियों को शब्द सिंधु में समाहित करके शब्द सिंधु को सम्पूर्ण करना है।

(ख) दो महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं। पहला हिन्दी के साहित्य और इसकी समस्त विधाओं को सुदृढ़ करना एवं उनको संजोना है। दूसरा भाषा के व्याकरण को सुदृढ़ करने के लिए भी दीर्घकालिक रणनीति बनाने की आवश्यकता है।

8. The Department of Official Language has urged all the Secretaries to the Government of India/Heads of various Government Organizations that when they preside over the meeting of senior officers every month, they should also review the progress made in official work in Hindi in those meetings and discuss about the implementation of various provisions of Official Languages Act and Rules in their organization. In addition, the Joint Secretary (Administration) / Administrative Head of the organization should be entrusted with the responsibility of Hindi implementation and to preside over the meeting of the Official Language Implementation Committee in every quarter of the year.

9. The Official Language Cadre should be constituted in the Offices/Undertakings/Banks etc. and it should be in conformity with the total posts.

10. The Hindi officers of the subordinate offices of the Ministries/Departments should be given the same pay scale and designation as the Central Secretariat Official Language Service Cadre.

11. The answers of question papers, except that of the compulsory paper of English, should also be allowed to be written in Hindi in recruitment examinations of subordinate services and such question papers should be made available both in Hindi and English. In interview or oral test, the candidates may be allowed the option to answer in Hindi.

12. The candidates should have the option to answer the question papers of all in-service, departmental and promotion examinations (including All India Level Examinations) conducted by the Central Government Offices in Hindi. The question papers should compulsorily be set in both the languages, Hindi and English. In interviews, the candidates may be allowed to answer the questions in Hindi.

8. राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के सभी सचिवों/विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रमुखों से आग्रह किया है कि जब वे प्रत्येक माह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करें तो वे उनमें हिंदी में सरकारी काम-काज में हुई प्रगति की भी समीक्षा करें और अपने संगठन में राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करें। साथ ही, संयुक्त सचिव (प्रशासन)/संगठन के प्रशासनिक प्रमुख को हिंदी कार्यान्वयन तथा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए।

9. कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए, जो कि कुल पदों के अनुरूप हो ।

10. मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी पदाधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान वेतनमान व पदनाम दिए जाएं।

11. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न- पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप से, हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए।

12. केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा सभी सेवाकालीन, विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं (अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं सहित) में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का विकल्प दिया जाए। प्रश्न पत्र अनिवार्यतः दोनों भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी में तैयार कराए जाएं। जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां अभ्यर्थियों को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देने की अनुमति दी जाए।

13. Scientists etc. should be motivated and encouraged to read their research papers in the Official Language Hindi in all the scientific/technical seminars and discussions etc. Research papers should relate to the main subjects of the Ministry/ Department and Office concerned.

14. All Central Government Ministries/Departments/Offices etc. may organize Hindi Seminars.

15. Every type of training, whether long-term or short term, generally be imparted through Hindi medium in 'A' and 'B' Regions. To impart training in 'C' Region, the training material be prepared both in Hindi and English and made available to the trainees in Hindi or English as per their requirements.

16. No Non-Governmental Organization has been authorized to impart training of Official Language to the employees of Central Government Offices by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Sufficient number of training centres across the country are functioning under the Department of Official Language and they impart various types of training to the officers and employees of the Central Government free of cost and they also organize workshops for deliberations on Official Language. As per the directions of Department of Official Language, all the Central Government Offices organize workshops for encouraging the use of Official Language in their respective offices. Besides English, the facility of imparting online training of Hindi language through 14 Indian languages is available on the website of Department of Official Language. Thus, it is not appropriate to incur infructuous expenditure from the Government exchequer for participation in Official Language training and workshops organized by NGOs.

17. To overcome the difficulties faced by various offices in doing the official work in Hindi, new guidelines have come into effect forthwith to organize Hindi workshops. According to new guidelines, the duration of workshop should be minimum one working day. Minimum two third of the time of workshop shall be devoted to the actual practice of doing the official work in Hindi on the subjects related to that office.

13. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र संबंधित मंत्रालय/विभाग और कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित हों।

14. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि हिंदी संगोष्ठियों का आयोजन करें।

15. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यत: हिंदी माध्यम से हो । 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

16. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा कोई भी गैर-सरकारी संस्था केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही देश भर में काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण नि:शुल्क देते हैं एवं राजभाषा पर विचार-विमर्श के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा संबंधित कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर 'लीला' राजभाषा के माध्यम से अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अतः गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना उचित नहीं है।

17. विभिन्न कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यशाला की न्यूनतम अवधि एक कार्य दिवस की होगी। कार्यशाला में न्यूनतम दो तिहाई समय कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए।

18. On the demand of Central Government offices, Central Hindi Training Institute imparts training for Hindi language, Hindi typing and Hindi Stenography through video conferencing also.

19. So long as the prescribed targets regarding Hindi typists and Hindi stenographers are not achieved in the Central Govt. Offices, only Hindi typists and Hindi stenographers should be recruited.

20. Officers/employees associated with translation work & implementation of Official Language Policy may be nominated for compulsory Translation Training in the Central Translation Bureau. Officers/ employees having knowledge of Hindi and English both, at degree level whose services are likely to be utilized for translation work by the office may also be nominated for translation training.

21. Translators should be helped out with aids like standard dictionaries (English-Hindi, Hindi-English) and other technical glossaries.

22. The officers of IAS and other All India Services are imparted compulsory training in Hindi during their training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie so that they could make use of it in official work. However, most of the officers do not use Hindi in their official work after joining the service. As such, officials/employees working under them do not get the right message. Consequently, Hindi is not used in official work to the extent required. It is the constitutional obligation on senior officers of the Central Government Offices to make progressive use of Hindi in their official work. This, in turn, will motivate the officials/employees working under them, thereby giving impetus to the compliance of the Official Language Policy.

18. केंद्र सरकार के कार्यालयों की मांग पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

19. केंद्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिंदी टंककों व हिंदी आशुलिपिकों से संबंधित निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक ही भर्ती किए जाएं।

20. अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद के प्रशिक्षण के लिए नामित किया जा सकता है, जिन्हें स्नातक स्तर पर हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तथा जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा अनुवाद कार्य के लिए किया जा सकता है।

21. अनुवादकों को, मानक शब्दकोश (अंग्रेजी-हिंदी व हिंदी-अंग्रेजी) तथा अन्य तकनीकी शब्दावलियों के रूप में सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

22. भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है ताकि सरकारी कामकाज में वे इसका प्रयोग कर सकें। तथापि, अधिकांश अधिकारी सेवा में आने के पश्चात सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग नहीं करते। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों में सही संदेश नहीं जाता। परिणामस्वरूप, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता। केंद्र सरकार के कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में गति आएगी।

23. All the Central Government Offices should widely promote and propagate the various incentive schemes in their Offices in order to accelerate the use of Hindi, so that maximum number of officials/employees are benefited by these schemes and maximum official work should be done in Hindi.

24. All the Central Government Offices should take necessary steps to enrich their Departmental Glossaries.

25. Hindi magazines are being published by the Central Government Offices to generate working environment in Hindi. General activities and original articles pertaining to the particular office should be published in these magazines. Main provisions of Official Language Policy may also be mentioned in these magazines. The Central Government Offices are required to bring out e-version of these magazines and to upload them on the 'E-Patrika Pustakalaya' platform provided by the Department of Official Language to facilitate smooth access of the In-house magazines to the readers.

26. It has been noticed that in the website of many Departments, information in Hindi is not being provided or in some cases it is not available completely in Hindi. Website should, therefore, be developed and updated in Hindi, regularly.

27. The Department of Official Language, every year conducts Basic Computer Training Programmes in Hindi through Central Hindi Training Institute and the duration of each programme is five days. Maximum number of officers/employees may be nominated for these training programmes. Trainees will be able to work in Hindi on computer after completion of the training programme. Details of the programmes are available at the website of the Central Hindi Training Institute at www.chti-rajbhasha.gov.in.

23. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो।

24. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय अपने दायित्वों से संबंधित विषयों से संबधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

25. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने कार्यालय में हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं। इन पत्रिकाओं में कार्यालय की सामान्य गतिविधियों तथा उस कार्यालय के कामकाज से संबंधित मौलिक आलेख प्रकाशित किए जाएं। साथ ही राजभाषा नीति के प्रमुख प्रावधानों का भी उल्लेख अवश्य हो। केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन पत्रिकाओं के ई-वर्जन तैयार करें और इन्हें राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म "ई-पत्रिका पुस्तकालय" पर अपलोड करें ताकि गृह-पत्रिकाएं पाठकों को सहज तरीके से प्राप्त हो सकें।

26. यह देखा गया है कि अनेक विभागों द्वारा वेबसाइट पर या तो सूचना हिंदी में नहीं दी जाती या कुछ मामलों में यह पूर्णतया हिंदी में उपलब्ध नहीं है। अतः वेबसाइट हिंदी में विकसित और नियमित रूप से अद्यतित करवाएं।

27. राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हर वर्ष कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए 5 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षु कंप्यूटर पर हिंदी में काम कर सकेंगे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

28. Rajbhasha Gaurav Puraskar Yojna

With the objective of promoting Hindi as the Official Language and encouraging original book writing in Hindi, the Department of Official Language has implemented the revised “Rajbhasha Gaurav Award Scheme” for original books written in Hindi and books translated into Hindi, effective from the year 2025-26.

26. Under this scheme, awards will be conferred upon citizens of India in the following categories and subjects:

i) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on Engineering, Electronics, Computer Science, Physics, Biology, Energy, Space Science, Medicine, Chemistry, Information Technology, Management, Psychology and contemporary topics like Liberalisation, Globalization, Consumerism, Human Rights, Pollution.

ii) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi on the subjects of Law and Police Research, Forensic Science, Criminology and Police Administration etc.

iii) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on subjects related to Culture, Religion, Arts and Heritage etc.

iv) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi by the author of 'C" region (on the subjects of all the above categories).

v) Rajbhasha Gaurav Puraskar for books translated in Hindi - For translated books on classics and subjects related to culture, art, heritage.

28. राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना

राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 से हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं हिंदी में अनूदित पुस्तक हेतु संशोधित “राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना” लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारत के नागरिकों को निम्नलिखित श्रेणियों और विषयों पर पुरस्कार दिए जाएंगे:-

(1) इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण, पर्यावरण विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(2) विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(3) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(4) ‘ग’ क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।

(5) हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार - कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।

Details of Awards:

S. No	Name of the Award Scheme	Total no. of awards	Payable Amount, Certificate and Memento
A	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on Engineering, Electronics, Computer Science, Physics, Biology, Energy, Space Science, Medicine, Chemistry, Information Technology, Management, Psychology and contemporary topics like Liberalisation, Globalization, Consumerism, Human Rights, Pollution	First Prize (One)	₹ 2,00,000/- (Two lakh rupees), a Certificate and a Memento
		Second Prize (One)	₹ 1,25,000/- (One lakh twenty-five thousand rupees), a Certificate and a Memento
		Third Prize (One)	₹ 75,000/- (Seventy five thousand rupees), a Certificate and a Memento
		Incentive Award (Three)	₹40,000/- (Rupees Forty Thousand), an incentive Certificate and a Memento
B	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi on the subjects of Law and Police Research, Forensic Science, criminology and police administration etc.	First Prize (One)	₹ 1,50,000/- (One lakh fifty thousand rupees), a Certificate and a Memento
		Second Prize (One)	₹ 1,00,000/- (One lakh rupees), a Certificate and a Memento
		Incentive Award (Two)	₹40,000/- (Rupees Forty Thousand), an incentive Certificate and a Memento
C	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on subjects related to Culture, Religion, Arts and Heritage	First Prize (One)	₹ 1,50,000/- (One lakh fifty thousand rupees), a Certificate and a Memento
		Second Prize (One)	₹ 1,00,000/- (One lakh rupees), a Certificate and a Memento
		Incentive Award (Two)	₹40,000/- (Rupees Forty Thousand), an incentive Certificate and a Memento
D	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi	First Prize (One)	₹1,50,000/- (One lakh fifty thousand rupees), a Certificate and a Memento
		Second Prize (One)	₹ 1,00,000/- (One lakh rupees), a Certificate and a Memento
		Incentive Award (Two)	₹40,000/- (Rupees Forty Thousand), an incentive Certificate and a Memento
E	Rajbhasha Gaurav Puraskar for books translated in Hindi - For translated books on classics and subjects related to culture, art, heritage.	First Prize (One)	₹1,50,000/- (One lakh fifty thousand rupees), a Certificate and a Memento
		Second Prize (One)	₹ 1,00,000/- (One lakh rupees), a Certificate and a Memento
		Incentive Award (Two)	₹40,000/- (Rupees Forty Thousand), an incentive Certificate and a Memento

पुरस्कार विवरण:

	पुरस्कार योजना का नाम	कुल पुरस्कारों की संख्या	देय राशि, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
क	इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹2,00,000/- (दो लाख रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		तृतीय पुरस्कार (एक)	₹75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (तीन)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ख	विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ग	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
घ	'ग' भाषा क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ङ	हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार - कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

29. Rajbhasha Kirti Puraskar Yojna

To encourage the implementation of the Official Language Policy the Department has revised the award scheme named "Rajbhasha Kirti Puraskar" scheme from the year 2025-26. The following will be rewarded under the scheme:-

(A) Ministries/Departments
(B) Public Sector Undertakings
(C) Boards/Autonomous Bodies/trusts etc.
(D) Nationalised Banks
(E) Departmental Hindi Magazines
(F) TOLIC - Town official language implementation committee

2. As a result of the effective implementation of the Official Language Policy, Ministries, Departments, Public Sector Undertakings,Nationalised Banks, Boards, Autonomous Bodies and Trusts will be honoured with shields in recognition of their outstanding contributions to promoting the progressive use of the Official LanguageThe following awards will be conferred at the Hindi Day celebrations:-

Category	**Description**	**Prize**
Ministries/Departments	Staff less than 300 Staff more than 300	03 Prizes 03 Prizes
Public Sector Undertakings	'A' Region 'B' Region 'C' Region	03 Shields 03 Shields 03 Shields
Boards/Autonomous Bodies/trusts etc.	'A' Region 'B' Region 'C' Region	02 Shields 02 Shields 02 Shields
Nationalized Banks	Staff less than 800 Staff more than 800	03 Prizes 03 Prizes
In-house Hindi Magazine	'A' Region 'B' Region 'C' Region	02 Prizes 02 Prizes 02 Prizes
TOLIC -Town Official Language Implementation Committee	'A' Region 'B' Region 'C' Region	02 Shields 02 Shields 02 Shields

29. राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना:

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 से संशोधित "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना जारी की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब निम्नलिखित को पुरस्कृत किया जाएगा:

1.मंत्रालय/विभाग
2.सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
3.बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ ट्रस्ट आदि
4.राष्ट्रीयकृत बैंक
5.विभागीय हिंदी पत्रिका
6.नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति)

2.राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, बोर्डों/स्वायत्त निकायों/ट्रस्टों, आदि को पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड देकरसम्मानित किया जाएग। इसके अंतर्गत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर निम्नानुसार पुरस्कार दिए जाएंगे:-

श्रेणी	**विवरण**	**पुरस्कार**
मंत्रालय/विभाग	300 से कम कार्मिक 300 से अधिक कार्मिक	03 पुरस्कार 03 पुरस्कार
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	'क' क्षेत्र 'ख' क्षेत्र 'ग' क्षेत्र	03 शील्ड 03 शील्ड 03 शील्ड
बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट आदि	'क' क्षेत्र 'ख' क्षेत्र 'ग' क्षेत्र	02 शील्ड 02 शील्ड 02 शील्ड
राष्ट्रीयकृत बैंक	800 से कम कार्मिक 800 से अधिक कार्मिक	03 पुरस्कार 03 पुरस्कार
विभागीय हिंदी पत्रिका	'क' क्षेत्र 'ख' क्षेत्र 'ग' क्षेत्र	02 पुरस्कार 02 पुरस्कार 02 पुरस्कार
नराकास - नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	'क' क्षेत्र 'ख' क्षेत्र 'ग' क्षेत्र	02 शील्ड 02 शील्ड 02 शील्ड

30. The Department of Official Language, on its website, has provided links of various institutions through which one can see the glossary of those institutions. If any office has prepared its own glossary, it may be shared with this Department so that others may also benefit out of it.

31. Hindi translation of the generally used English sentences has been provided by the Department of Official Language on its website under the heading "**E-Saral Hindi Vakyakosh**" so that officers may write noting in Hindi on files easily by using them.

32. International Treaties and Agreements should invariably be prepared both in Hindi as well as in English. There should be authentic translations of Treaties and Agreements entered into in other countries and they should be kept on file for record.

33. In non-Hindi speaking States, respective Regional Language, Hindi and English should be used in this order for boards, sign boards, name plates and directional indicators.

34. The officers/employees handling Hindi work including training and workshops should also be provided good and sufficient space and other necessary seating facilities in the office to facilitate them to discharge their duties properly.

35. Emphasis should be given on the use of popular words in our routine work so that citizens have an access to Government Policies/Programmes in simple Hindi language.

30. राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न संस्थाओं के लिंक उपलब्ध कराए हैं जिनके माध्यम से इन संस्थाओं की शब्दावली देखी जा सकती है। इस संबंध में यदि कार्यालयों द्वारा कोई अपनी शब्दावली तैयार की गई है तो वे उसे राजभाषा विभाग से साझा करें ताकि अन्य कार्यालय भी लाभान्वित हो सकें।

31. राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर "ई-सरल हिंदी वाक्यकोश" शीर्षक के अंतर्गत सामान्यत: अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले वाक्यों के हिंदी अनुवाद दिए गए हैं जिनके प्रयोग से अधिकारी फाइलों पर सामान्य टिप्पणियां आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं।

32. अंतरराष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणिक अनुवाद तैयार कराकर रिकॉर्ड के लिए फाइल में रखे जाएं।

33. हिंदीतर राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट्ट तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में, प्रयोग की जानी चाहिए ।

34. प्रशिक्षण और कार्यशालाओं सहित राजभाषा हिंदी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा व समुचित स्थान एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक तरह से कर सकें।

35. हमें अपने कार्य-व्यवहार में आम जीवन में प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल देना चाहिए ताकि सामान्य नागरिक सरकारी नीतियों/ कार्यक्रमों के बारे में सरल हिंदी में जानकारी प्राप्त कर सकें।

Annual Programme for 2026-27 for use of Hindi

S.NO	DETAILS OF WORK	'A' REGION	'B' REGION	'C' REGION
1.	Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)	1. From A to A 100% 2. From A to B 100% 3. From A to C 70% 4. From Region A 100% to Offices / Individuals in States / UTs of A & B region	1. From B to A 90% 2. From B to B 90% 3. From B to C 60% 4. From Region B 90% to Offices Individuals in States / UTs of A & B region	1. From C to A 60% 2. From C to B 60% 3. From C to C 60% 4. From Region C to 60% Offices / Individuals in States / UTs of A & B region
2.	Letters received in Hindi to be answered in Hindi	100%	100%	100%
3.	Noting in Hindi	80%	55%	35%
4.	Training Programme through Hindi Medium	75%	65%	35%
5.	Recruitment of employees utilized for Hindi Typing & Stenographers .	80%	70%	45%
6.	Dictation in Hindi/ Direct Typing on Key-Board (self and by the Assistant)	70%	60%	35%
7.	Hindi Training (Language, Typing/ Stenography)	100%	100%	100%
8.	Preparation of Bilingual Training Material	100%	100%	100%

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2026-27 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को **100%** 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को **100%** 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **100%** के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को **90%** 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को **90%** 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **90%** के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 60% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **60%** के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	**100%**	**100%**	**100%**
3.	हिंदी में टिप्पण	80%	55%	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65%	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एव आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	70%	60%	35%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	**100%**	**100%**	**100%**
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	**100%**	**100%**	**100%**

9. Expenditure for the purchase of Hindi books etc., including digital material i.e., Hindi e-books, hindi e-newspapers, CD/DVD, Pen Drive including amount incurred on Translation in Hindi from English and Regional Languages out of the total Library grant excluding journals and standard reference books.	50%	50%	50%
10. Purchase of all electronic equipment including computers having bilingual i.e. Hindi and English working facility.	100%	100%	100%
11. Website bilingual	100%	100%	100%
12. Citizen Charter and display of Public interface information Board bilingual	100%	100%	100%
13.(i) Inspection by Ministries/ Departments/ Offices of their offices located outside their Headquarters by the officers (DS/Dir/JS) and officers of OL sections (% of Offices)	**30**%(minimum)	**30**%(minimum)	**30**%(minimum)
(II) Inspections of sections at Headquarters.	**30**%(minimum)	**30**%(minimum)	**30**%(minimum)
(III) Joint inspections by the officers Concerned & those of the Departments of Official Language of Foreign based Undertakings/ Offices etc. owned or controlled by the Central Government.	At least one inspection in a year.		
14. Meetings regarding Official Language			
(A) Hindi Salahakar Samiti	02 meetings in a year		
(B) Town Official Language Implementation Committee.	02 meetings in a year (One meeting in every six months)		
(C) Official Language Implementation Committee.	04 meetings in a year (One meeting every quarter)		

9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक,ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30**%** (न्यूनतम)	30**%** (न्यूनतम)	30**%** (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30**%** (न्यूनतम)	30**%** (न्यूनतम)	30**%** (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक),	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	

15.	Translation of Codes, Manuals, Forms, Procedural literature.	100%	100%	100%
16.	Sections of the Ministries/ Departments/ Offices/ Banks/ Undertakings where entire work to be done in Hindi.	45**%**	35**%**	25**%**

(Minimum Sections)

4**5**% in 'A' Region, **30**% in 'B' Region and **20**% in 'C' Region work may be done in Hindi for those Public Sector Undertakings/ Corporations where there is no concept of sections.

15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	**100%**	**100%**	**100%**
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	**45%**	35**%**	25**%**
		(न्यूनतम अनुभाग)		

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 45%, "ख" क्षेत्र में 30% और "ग" क्षेत्र में 20% कार्य हिंदी में किया जाए ।

PROGRAMME FOR FOREIGN BASED INDIAN OFFICES

(A)	Correspondence in Hindi (Including offices of Central Government located in India/abroad)	50%
(B)	File noting in Hindi	50%
(C)	Number of TOLIC meetings in a year (A TOLIC is to be constituted if 7 or more offices of Central Govt. are located in a town)	One meeting in a year.
(D)	(Number of DOLIC (Departmental Official Language Implementation Committee) meetings in a year. A DOLIC is to be constituted under the chairmanship of Head of Office.)	One meeting in each quarter.
(E)	Availability of electronic equipment including computers with bilingual working facility	100%
(F)	Employees /Stenographers doing their typing work in Hindi	Minimum one in each office
(G)	Arrangement of Interpreters	Arrangements of interpreters be made from local language to Hindi & vice-versa in every Mission/Embassy.

विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए कार्यक्रम

(क) हिंदी में पत्राचार (भारत/विदेश में स्थित केंद्रीय सरका के कार्यालयों के साथ)	50%
(ख) फाइलों पर हिंदी में टिप्पण	50%
(ग) वर्ष के दौरान नराकास की बैठकों की संख्या (नराकास का गठन किसी नगर में केंद्र सरकार के 7 या इससे अधिक कार्यालय होने की स्थिति में किया जाए)	प्रत्येक वर्ष में एक बैठक
(घ) वर्ष के दौरान विराकास (विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की बैठकों की संख्या (विराकास का गठन कार्यालय-अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जाए)	प्रत्येक तिमाही में एक बैठक
(ङ.) कंप्यूटरों सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी उपलब्धता	100%
(च) हिंदी टंकण कार्य करने वाले कर्मचारी/आशुलिपिक	प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक
(छ) दुभाषियों की व्यवस्था	प्रत्येक मिशन/दूतावास में स्थानीय भाषा से हिंदी में और हिंदी से स्थानीय भाषा में अनुवाद के लिए दुभाषियों की व्यवस्था की जाए।

वर्ष 2026-27 का वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

The Annual Programme for the year 2026-27 can be downloaded from the Department of Official Language Portal.

www.rajbhasha.gov.in

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी-II बिल्डिंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001 द्वारा प्रकाशित

Published by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, 4th floor, Jai Singh Road, New Delhi - 110001

E-mail : jsol@nic.in, techcell-ol@nic.in

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002 द्वारा मुद्रित Printed by the Manager, Govt. of India Press, Minto Road, New Delhi - 110002